जनपद हमीरपुर

दिनांक 21.08.2026

02 अभियुक्तगण के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदय हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही / प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) द्वारा जनपद के **थाना बिवांर, थाना राठ** से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित / जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित / जिलाबदर अपराधी अपने साथ किसी प्रकार का शस्त्र व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अभियुक्त का विवरण:-

1. अभियुक्त- रेवती रमण सिंह उर्फ डिपेन्सी सिंह पुत्र सूर्यकान्त सिंह, निवासी कस्बा व थाना बिवांर जनपद हमीरपुर दिनांक 04.08.2026 से 03 माह।
2. अरविन्द उर्फ अरविन्द अनुरागी पुत्र मुरलीधर, निवासी ग्राम पडरा, थाना राठ जनपद हमीरपुर दिनांक 07.08.2026 से 06 माह।